(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए) (TO BE SUBMITTED IN DUPLICATE)

अचल सम्पत्ति के संबंध में लेन—देन के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण नियमावली, 1964 के नियम 18 (2) . के अन्तर्गत पूर्व संस्वीकृति लेने या पूर्व सूचना देने के लिए फार्म।

Form for giving prior intimation or seeking previous sanction under Rule 18 (2) of CCS (Conduct) Rules, 1964 for transaction in respect of immovable property

- 1. सरकारी कर्मचारी का नाम (पूरा) Name of Government Servant (in full)
- 2. ' जन्म-तिथि Date of Birth
- 3. पदनाम Designation
- 4. सरकारी सेवा में आने की तारीख Date of Joining Govt. Service
- 5. मिशन/मुख्यालय में (जैसा लागू हो) कार्यभार संभालने की तारीख Date of Joining the Mission Head quarters(as applicable)
- 6. प्रतिमाह कुल परिलब्धियाँ Total emoluments per month

के वेतनमान	₹0
Pay in the pay scale of	
कुल	₩0
Allowance Rs.	
कुल	. ₹्0
Total Rs.	

7. आवेदन का उद्देश्य — लेन—देन की संस्वीकृति/लेन—देन की पूर्व सूचना Purpose of application sanction for trasaction /prior intimation of tr ansaction

 क्या सम्पत्ति प्राप्त की या निपटायी जा रही है whether property is being acquired or disposed off

9. सम्पत्ति प्राप्त करने / निपटाने की सम्मावित तारीख Probable data of acquisition or disposal of property

10. प्राप्त करने / निपटाने का तरीका Mode of acquisition / disposal

- 11. (क) स्थान का पूरा विवरण यानी नगर सं. गली/गाँव, तालुक, जिला और राज्य जहां समंपत्ति है
 - (a) Full details about location, viz Municipal No. Street/Village, Taluk, District and State in which situated.
 - (ख) कृषि योग्य भूमि सूखी या सिंचित भूमि के मामले में सम्पत्ति विवरण
 - (a) Description of the property in the case of cultivable land, dry or irrigated land
 - (ग) पूर्ण स्वामित्प की है या पट्टे की (a) Whether freehold or leasehold

- (घ) क्या आवेदक का इस सम्पत्ति में पूर्ण यां आंशिक अधिक है। आंशिक अधिकार के मामले में यह बताएं कि कितना अधिकार है
- (d) Whether the applicant's interest in theproperty is in full or part.
 (in case of partial interest, the extent of such interest must be indicated)
- (ड) यदि लेन—देन सिर्फ सरकारी कर्मचारी के नाम में नहीं है तो स्वामित्व के विरण और प्रत्येक सदस्य का उसमें हिस्सा कितना है
- (e) In case the transaction is not exclusively in the name of the Govt. servant, Particulars of ownership and share of each member
- 12. सम्पत्ति का विक्रय / क्रय मूल्य (उपहार के मामले में बाजार मूल्य) Sale/Purchase price of the property (Market value in case of Gifts)
- 13. यदि सम्पत्ति प्राप्त की है तो वह स्त्रोत या वे स्त्रोत जहां से धन की व्यवस्था की गई/किए जाने का प्रस्ताव है। In case of acquisition, source or sorces from which financed/ proposed to be financed
 - (क) व्यक्तिगत बचत
 - (a) personal savings
 - (ख) अन्य स्त्रोत ब्यौरा सहित
 - (b) other sources giving details

14 यदि सम्पत्ति निपटायी गई तो क्या इसे प्राप्त करने के लिए अपेति संस्वीकृति / सूचना प्राप्त की / प्रति संलग्न की जानी चाहिए In case of disposal of Property, was requsite sanction/intimation obtained/ given for its acquistion (A copy of the sanction/acknowledgement should be attached)

- 15. (क) उस पार्टी का नाम और पता जिसके साथ लेन—देन करने का प्रस्ताव है
 - (a) Name and address of the Party with whom transaction is proposed to be made

- (ख) क्या यह पार्टी आवेदक से संबंधित हैं? यदि हां, तो उसके साथ क्या संबंध हैं
- (b) Is the Party related to the applicant? If so, state the relationship.

- (ग) क्या आवेदक का किसी समय अपनी सरकारी हैसियत से उस पार्टी से लेन—देन हुआ या निकट भविष्य में उसके साथ कोई लेन—देन करने की संभावना है?
- (c) Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future?

- (घ) लेन-देन का प्रबन्ध कैसे किया गया (क्या किसी कानूनी निकाय या गैर सरकारी एजेंसी के जरिए, विज्ञापन के जरिए या मित्रों और रिश्तेदारों के जरिए। पूर्ण विवरण दिया जाए)
- (d) How was the transaction arranged?
 (Whether through any statutory body or apritate agency, through adventisement or through friends and relatives. Full particulars to be to be given)
- 16. उपहार द्वारा सम्पत्ति ग्रहण करने के मामले में क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18 के अन्तर्गत संस्वीकृति भी अपेक्षित है : In case of acquisition by gifts, whether

sanction is also required under Rule 18 of the CCS (Conduct)Rules, 1964?

17. कोई अन्य संगत तथ्य जो आवेदक बताना चाहे Any other relevant fact which the applicant may like to mention.

घोषणा DECLARATION

Å	इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए
विवरण सही हैं। मैं अनुरोध करता हूं नाम उक्त मद 15 में दिया गया है।	, कि उक्त वर्णित/उस पार्टी को/से प्राप्त करने/निपटाने की अनुमित दी जाए जिसका
true, I request that I may be give	n penmission to acquire/dispose off property as described above from/to the

अथवा OR

书,	इसके द्वारा यह सूर्व	चेत करता हूँ कि मैं ऊपर बतायी
	ैं यह घोषणा करता हूँ कि उक्त दिए गए वि	
property by me detailed abve. I declare th	hereby intimate the propose at the particulars given above are true.	ed acquisition/disposposal of
		<u>-</u>
स्थान :		हस्ताक्षर :
Station:		Signature:
	•	
तारीख:		पदनाम :
Date:		Desigantion :

टिप्पणी NOTE

र्वे अंश, जो लागू न हों, काट दिए जाएं। Portion not applicable should be struck off.

प्रविष्टियाँ टाइप की जानी चाहिए, या साफ–साफ लिखी जानी चाहिए। Entries should be typed or written legibly.

आवेदन—पत्र में दिए गए विवरण पूरे और विशिष्ट होने चाहिए न कि संदिग्ध। Statements made in the application should be complete and specific and not vague.

जहाँ तक अचल सम्पत्ति का सबंध है, ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" के मामले में इस फार्म में की गई प्रविष्टियाँ अचल सम्पत्ति रिटनों के अनुबंध विवरणों में की गई प्रविष्टियों के अनुरूप होनी चाहिए।
As regards immovable property, entries made in the form should correspond to the entries made in the Annexure statements of immovable property returns in the case of Group "A" and Group "B" officers.

जहाँ पूर्व संस्वीकृति मांगी जाए वहां आवेदक को लेन—देन की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। Where previous sanction is asked form the application should he submitted at least 30 days before the proposed date of the transaction.